

**दि ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड**प्रधान कार्यालय, ए-25/27, आसफ अली रोड़ ‘’आसफ अली रोड़, नई दिल्‍ली-110002

सार्वजनिक देयता पॉलिसी

**1. प्रवर्तनशील खण्‍ड:**

जबकि इस अनुसूची में नामित बीमाधारक ने उक्‍त अनुसूची में दिए गए कार्य को करने के लिए इसके आगे शामिल क्षतिपूर्ति के लिए दो ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके आगे कंपनी कहा जायेगा) को आवेदन किया है और एक लिखित प्रस्‍ताव और घोषणा की है, जो इस अनुबंध का आधार होंगे और इसमें शामिल किये गए माने जायेंगे और ऐसी क्षतिपूर्ति के कारण या उस पर विचार करने के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है या भुगतान करने के लिए सहमत हैं।**‘’अब यह पॉलिसी गवाह है** कि भारतीय कानून के अनुसरण में, यहॉं दी गई व पृष्‍ठांकित की गई शर्तों, अपवादों व नियमों के अधीन कंपनी बीमाधारक को भारत में कहीं भी दावेदार का प्रभार, शुल्‍क व खर्चों सहित मुआवजा देने की उनकी विधिक देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति (सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 व अन्‍य कोई कानून जो इस पॉलिसी के जारी होने के पश्‍चात लागू हो, के अधीन देयता के अलावा)’’**2. क्षतिपूर्ति:**

क्षतिपूर्ति पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक के विरुद्ध पहले लिखित रुप में दी गई बीमा की अवधि के दौरान बीमित परिसर में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण होने वाले दावों पर ही लागू होती है और बीमाधारक को क्षतिपूर्ति का भुगतान नुकसान और/अथवा चोट के कारण और/अथवा के लिए प्रवर्तनशील खण्‍ड के अनुसार में, अनुसूची में निर्दिष्‍ट कार्य से जुडे अथवा के कारण होने वाले दावों के विरुद्ध ही किया जायेगा ना कि निम्‍नलिखित से जुडे अथवा के कारण होने वाले दावों के लिए :-क) किसी भी कारण से हुआ प्रदूषण जब तक कि विशष रुप से कवर ना किया गया होख) कोई उत्‍पाद दी जाने वाली क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देशय से1. **‘चोट’** जिसका अर्थ मृत्‍यु, शारीरिक चोट, बीमारी अथवा किसी व्‍यक्ति को अथवा की बीमारी है2. **‘नुकसान’** जिसका अर्थ वास्‍तविक और/अथवा भौतिक संपत्ति को हुआ प्राकृतिक नुकसान है3. **‘प्रदूषण’** जिसका अर्थ प्रदूषण अथवा किसी जलस्रोत या वातावरण या अन्‍य भौतिक संपत्ति का संदूषण है4. **‘उत्‍पाद’** जिसका अर्थ कोई भौतिक संपत्ति है जिसे बीमाधारक द्वारा अथवा की ओर से डिजाइन, विनिर्दिष्‍ट, प्रतिपादित, उत्‍पादित, निर्मित, संस्‍थापित, बेचा, आपूरित, वितरित, संसाधित, सर्विस, संशोधित या मरम्‍मत किया गया हो किंतु उसका अर्थ मुख्‍यत: स्‍टाफ के हितलाभ के रुप में बीमाधारक के कर्मचारियों को बीमाधारक के द्वारा अथवा की ओर से आपुर्ति किये गए खान-पान के पदार्थ नहीं होना चाहिए

5) ‘पॉलिसी अवधि’ का अर्थ है पॉलिसी की अनुसूची में दिए अनुसार तारीख व समय से प्रारंभ होने वाली और पॉलिसी की अनुसूची में दिए अनसार समाप्ति तिथि की अर्धरात्रि को समाप्‍त होने वाली अवधि6) ‘बीमा की अवधि’ का अर्थ है पूर्व प्रभावी तारीख से प्रारंभ होने वाली व पॉलिसी की अनुसूची में दी गई समाप्ति तिथि पर समाप्‍त होने वाली अवधि

7) ‘दुर्घटना’ का अर्थ है कोई आकस्मिक घटना या स्थिति जो अचानक, अनापेक्षित और गैरइरादतन हो जिसमें उसी आकस्मिक घटना या स्थिति के कारण परिणामकारी निरंतर सविराम अथवा बार-बार अरक्षितता शामिल हो।8) ‘परिसर में परिसर से 1 कि.मी. की दूरी के बीच स्थित किसी निष्‍कासन स्‍थल पर, संसाधित अपशिष्‍ट के निष्‍कासन हेतु परिसर के बाहर जाने वाली पाईपलाईन शामिल मानी जायेगी।

3. (अ) विस्‍तार खण्‍ड की सूचना:अगर बीमाधारक सामान्‍य शर्त 9.1 के अनुसण में पॉलिसी अवधि के दौरान कंपनी को किसी विशेष घटना या स्थिति की सूचना देता है जिसे कंपनी स्‍वीकार कर लेती है और इस पॉलिसी के द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावे पैदा हो जाते हैं तो ऐसी सूचना की स्‍वीकृति का अर्थ है कि कंपनी ऐसे दावे अथवा दावों का निपटान ऐसे करेगी जैसे ये पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक के विरुद्ध पहले ही किये गए हों। इस खण्‍ड के तहत विस्‍तार, समय-समय पर यथालागू भारतीय प्रतिबन्‍ध अधिनियम में दी गई अधिकतम समय-सीमा के अधीन होगा।(ब) विस्‍तारित दावा रिपोर्टिंग खण्‍ड: कंपनी अथवा बीमाधारक द्वारा इस पॉलिसी को नवीनीकृत ना किये जाने अथवा निरस्‍त किये जाने की स्थिति में, कंपनी पॉलिसी की समाप्ति अथवा निरस्‍तीकरण की तारीख से केवल 10 दिनों की समय-समय तक दुर्घटना के उन दावों की सूचना देने की अनुमति देगी जो बीमा की अवधि के दौरान हुए किंतु जिनका दावा नहीं किया जा सका। तथापि, इस हेतु विस्‍तारित रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किये गये सभी दावे ऐसे समझे जायेंगे जैसे व समाप्‍त होने वाली पॉलिसी अवधि के अंतिम दिन पर किये गए हैं और क्षतिपूर्ति सीमा व पॉलिसी के निबंधन व शर्तों तथा अपवादों के अधीन हैं।4. अन्‍य को क्षपिूर्ति: दी जाने वाली क्षतिपूर्ति इन पर भी लागू होगी -4.1 बीमाधारक के कर्मचारी जो उनके व्‍यवसाय के कार्य-निष्‍पादन के कारण पैदा होने वाली व्‍यवसाय क्षमता अथवा बीमाधारक के कर्मचारियों के लिए उनके अस्‍थायी नियोजन के कारण पैदा होने वाली निजी क्षमता के कारण हों।4.2 बीमाधारक की कैंटीन, सामाजिक, खेलकूद, चिकित्‍सा, अग्निशमन व कल्‍याण संस्‍थाओं की उनकी संबंधित क्षमताओं के लिए लगे अधिकारी, समितियां व सदस्‍य

4.3 ऐसे किसी भी व्‍यक्ति की जागीर का कोई निजी प्रतिनिधि जो अन्‍यथा ऐसे व्‍यक्ति की देयता के संबंध में इस पॉलिसी द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाता किंतु इन सबके लिए आवश्‍यक है कि ऐसे सभी व्‍यक्ति अथवा पार्टियां इस पॉलिसी के निबंधन, शर्तों व अपवादों को ऐसे मानेंगे और पूर्ण करेंगे जैसे वे स्‍वयं बीमाधारक हों।

5. क्रॉस देयता: क्षतिपूर्ति प्राप्‍त करने वाले प्रत्‍येक व्‍यक्ति अथवा पार्टी को, किसी भी व्‍यक्ति अथवा पार्टी (बीमाधारक द्वारा नामित के अलावा) द्वारा उनमें से किसी के भी विरुद्ध किये गए दावों के संबंध में अलग से क्षतिपूर्ति दी जाती है जो कंपनी की कुल देयता, जो पॉलिसी की अनुसूची में दी गई क्षतिपूर्ति की सीमाओं से अधिक ना हो, के अधीन है।6. प्रतिवाद मूल्‍य: बीमाधारक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दावे की जांच, प्रतिवाद अथवा निपटान में लगे सभी प्रकार के मूल्‍यों, शुल्‍कों व व्‍ययों और बीमाधारक के विरुद्ध किये गए अथवा किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दावे से सीधे संबंधित होने वाले मामलों के संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की तहकीकात, जाूच अथवा अन्‍य कारवाईयों में लगे अभिवेदन मूल्‍यों का भुगतान कंपनी, उनकी पूर्व सहमति से करेगी किंतु ऐसा दावा अथवा दावे पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति के अधीन होने चाहिए।

7. क्षतिपूर्ति सीमाएं:

मुआवजे, दावेदार का मूल्‍य, प्रभार व व्‍यय और प्रतिवाद् मूल्‍यों का भुगतान करने में कंपनी की कुल देयता अनुसूची में दी गई क्षतिपूर्ति सीमा से अधिक नहीं होगी। किसी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति सीमा एक मूल कारण से उत्‍पन्‍न हुए किसी एक दावे अथवा दावों कडी श्रृंखला पर लागू होगी, बीमा की अवधि की क्षतिपूर्ति सीमा पॉलिसी अवधि के दौरान कंपनी की देयता की कुल राशि दर्शाएगी।7.1 दावों की श्रृंखला खण्‍ड: इस पॉलिसी के उद्देश्‍य के लिए जहॉं विभिन्‍न शारीरिक चोटों और/अथवा संपत्ति के नुकसान और/अथवा की एक श्रृंखला होती है, जिसका कारण प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से वहीं दुर्घटना होती है, वहॉं ऐसी सभी शारीरिक चोटें और/अथवा संपत्ति का नुकसान एक घटना माने जायेंगे। किन्‍तु किसी एक विशिष्‍ट कारण से उत्‍पन्‍न होने वाली दावों के लिए, श्रृंखला के प‍हले दावे के 3 वर्ष पश्‍चात कोई कवरेज नहीं होगा।7.2 अनिवार्य अतिक्रम:

सार्वजनिक देयता के तहत (औद्योगिक जोखिम): किसी दुर्घटना सीमा का 0.50 जो न्‍यूनतम रु2000/- व अधिकतम रु3,00,000/- होगा बीमाधारक यह अनिवार्य अतिक्रम वहन करेगा जो संपत्ति नुकसान के दावों और मृत्‍यु/शारीरिक चोट दावों, दोनों पर लागू होगा जिसमें किसी एक दुर्घटना के कारण उत्‍पन्‍न हुआ प्रतिवाद मूल्‍य शामिल होगा। सार्वजनिक देयता के तहत (औधोगिक जोखिम): किसी एक दुर्घटना सीमा का 0.50 / जो न्‍यूनतम रु2000/- व अधिकतम रु3,000/- होगा बीमाधारक यह अनिवार्य अतिक्रम वहन करेगा जो संपत्ति नुकसान के दावों और मुत्‍यु/शा‍रीरिक चोट दावों, दोनों पर लागू होगा जिसमें किसी एक दुर्घटना के कारण उत्‍पन्‍न हुआ प्रतिवाद मूल्‍य शामिल होगा। सार्वजनिक देयता के तहत (औधोगिक जोखिम): किसी एक दुर्घटना सीमा का 0.50 / जो न्‍यूनतम रु2,000/- व अधिकतम रु3,00,000/- होगा बीमाधारक यह अनिवार्य अतिक्रम वहन करेगा जो संपत्ति नुकसान के दावों और मृत्‍यु/शारीरिक चोट दावों, दोनों पर लागू होगा जिसमें किसी दुर्घटना के कारण उत्‍पन्‍न हुआ प्रतिवाद मूल्‍य शामिल होगा।

7.3 स्‍वैच्छिक अतिक्रम:

बीमाधारक द्वारा यह विकल्‍प लेने पर पॉलिसी, अनुसूची में दिए एक स्‍वैच्छिक अतिक्रम के अधीन होगी। यह स्‍वैच्छिक अतिक्रम किसी एक दुर्घटना के कारण उत्‍पन्‍न हुए प्रतिवाद मूल्‍य सहित (अ) मुत्‍यु/शारीरिक चोट दावों (ब) संपत्ति नुकसान के दावों, पर लागू होगा। ऐसे अनिवार्य व स्‍वैच्छिक अतिक्रमों के अतिक्रम में किये गए दावों के लिए कंपनी की देयता संबद्ध होगी।

8. अपवाद: ‘’यह पॉलिसी सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 अथवा अन्‍य कोई कानून जो इस पॉलिसी के जारी होने के पश्‍चात लागू हो, के अधीन देयता को कवर नहीं करती और ना ही निम्‍नलिखित देयता को कवर करती है’’8.1 अनुबंध द्वारा बीमाधारक द्वारा कल्पित और जो ऐसे अनुबंध के अभाव में संबद्ध न किया जाता8.2 भूकम्‍प, धरती हिलना, ज्‍वालामुखी, फटना, बाढ विभिन्‍न प्रकार के तूफान, और समान प्राकृतिक आपदाओं और वायुमंडलीय बाधाओं के कारण पैदा होने वाले

8.3 किसी सांविधिक प्रावधान के सुविचारित, जानबूझकर किये गए गैर-अनुपालन के कारण पैदा होने वाले8.4 पूर्णत: वित्‍तीय प्रकृति के नुकसान जैसे साख, व्‍यापार का नुकसान आदि के कारण पैदा होने वाले8.5 (अ) सभी निजी चोटों जैसे परिवार, बदनामी, झूठी गिरफ्रतारी, गलत तरीके से हिरासत में रखने, मानहानि इत्‍यादि व उसके कारण होने वाली मानसिक चोट, पीडा या सदमें से उत्‍पन्‍न

(ब) योजनाओं, कॉपीराइट, पेटेंट, व्‍यावसायिक नाम, ट्रेडमार्क, पूजीकृत, डिजाइन का उल्‍लंघन

8.6 क्षतिपूरक नुकसानों के बढ जाने के कारण लगे अर्थदंड, हर्जाने, दंडात्‍मक या कठोर नुकसान अथवा अन्‍य कोई नुकसान से उत्‍पन्‍न

प्रत्यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्‍मन की कार्रवाई, शत्रुता (चाहे युद्ध हो अथवा नहीं), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह या सैन्‍य या अन्‍यायपूर्ण शक्ति के उपयोग के परिणामस्‍वरुप अथवा के दौरान हुई घटनाओं से उत्‍पन्‍न

8.8 निम्‍नलिखित के द्वारा प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से अथवा के कारण उत्‍पन्‍न -(अ) किसी आणविक ऊर्जा के कारण अथवा आणविक ऊर्जा के दहन के कारण हुए आणविक कचरे की वजह, से हुआ आयनित विकिरण अथवा रेडियोधर्मी संदूषण

(ब) किसी विस्‍फोट आणविक संयोजन अथवा उसके आणविक संघटक के रेछियोधर्मी, विषाक्‍त, विस्‍फोट अथवा अन्‍य खतरनाक गुण8.9 यह पॉलिसी निम्‍नलिखित के कारण होने वाली देयता को कवर नहीं करती -बीमाधारक द्वारा अथवा की और से किसी ऐसे मोटर वाहन अथवा ट्रेलर का स्‍वामित्‍व अधिकार या उपयोग जिसके लिए निम्‍नलिखित के अलावा कानून द्वारा अनिवार्य बीमा अपेक्षित है-

(अ) किसी सडक या आम रास्‍ते की सीमा के बाहर किसी मोटर वाहन अथवा ट्रेलर की लोडिंग/अनलोडिंग के कारण पैदा होने वाले दावे(स) किसी पुल, तोलसेतु, सडक अथवा उसके नीचे किसी चीज को मोटर वाहन अथवा उसमें ले जाए जा रहे वजन के कारण हुए नुकसान के लिए दावे

(द) पार्किंग हेतु अस्‍थायी रुप से बीमाधारक की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण वाले किसी मोटर वाहन अथवा ट्रेलर के कारण पैदा होने वाले दावे8.10 बीमाधारक के परिसर के बाहर सामग्री और/अथवा खतरनाक/जोखिमपूर्ण चीजों का परिवहन जब तक कि विशिष्‍ट रुप से कवर ना किया गया हो।8.11 बीमाधारक के द्वारा अथवा की ओर से किसी वायुयान, जलयान अथवा हॉवरक्राफट का स्‍वामित्‍व अधिकार अथवा अपयोग8.12 बीमाधारक के स्‍वामित्‍व वाली अथवा लीज की गई अथवा किराये पर ली गई या किरायाखरीद या कर्ज पर ली गई संपत्ति अथवा जो अन्‍यथा बीमाधारक की अभिरक्षा और नियंत्रण में है, को हुआ नुकसान,निम्‍नलिखित को छोडकर -(अ) परिसर (अथवा उसके संघटक) जो उस पर कार्य करने हेतु बीमाधारक द्वारा अस्‍थायी रुप से लिया गया हो या अन्‍य संपत्ति जो उस पर कार्य करने हेतु अस्‍थायी रुप से बीमाधारक के अधिकार में हो (किन्‍तु संपत्ति के उस भाग को हुए नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती जिस पर बीमाधारक कार्य कर रहा है और जो ऐसे कार्य के कारण होती है)(ब) कर्मचारियों व आगंतुकों के कपडे व निजी सामान(स) बीमाधारक द्वारा किराये पर लिया गया ऐसा परिसर जिसके संबंध में किसी विशिष्‍ट व्‍यवस्‍था के अभाव के लिए बीमाधारक को विविध रुप से जिम्‍मेदार ठहराया जा सकता है8.13 अनुसूची में दी गई पूर्व प्रभावी तारीख से पहले हुई कोई चोट अथवा/और नुकसान अगर कवर्ड दुर्घटना के बाद किसी वस्‍तु के निरंतर या लगातार अंत:श्‍वसन, अंतरग्रहण अथवा उपयोग के कारण होने वाले किसी नुकसान अथवा चोट की स्थिति में और जहॉं बीमाधारक और कंपनी लगी हुई चोट अथवा नुकसान पर सहमत ना हों तो हमेशा(अ) चोट उस समय लगी हुई समझी जायेगी जब दावेदार ने पहली बार किसी योग्‍य चिकित्‍सक से ऐसी चोट के संबंध में परामर्श किया हो(ब) नुकसान उस समय हुआ समण जायेगा जब दावेदार को पहली बार यह स्‍पष्‍ट हुआ, चाहे उसका कारण अज्ञात हो।8.14 दावे रोकने के सभी मुनासिब कदम उठाने की आवश्‍यकता की बीमाधारक के तकनीकी अथवा प्रशासनिक प्रबंधक द्वारा जानबूझकर, सचेतन अथवा इरादतन उपेक्षा

8.15 बीमाधारक के यहॉं रोजगार अथवा प्रशिक्षण के अनुबंध के अधीन किसी व्‍यक्ति को लगी चोट जब ऐसी चोट ऐसे अनुबंध का कार्यान्‍वयन करने के दौरान लगी हो8.16 कोई दुर्घटना(एं) जिसके संबंध में राहत सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 अथवा इस पॉलिसी के जारी होने के पश्‍चात लागू हुए किसी अन्‍य कानून के तहत आएगी।

 **शर्तें**

1. जैसे ही बीमाधारक के विरुद्ध कोई यथोचित व व्‍यवहारिक दावा किया जाता है (ऐसी किसी विशिष्‍ट घटना या स्थिति के लिए जो बीमाधारक के विरुद्ध दावे को जन्‍म दे) और जो इस पॉलिसी के अधीन क्षतिपूर्ति का कारण बनता है वैसे ही बीमाधारक द्वारा कंपनी को लिखित सूचना और कंपनी के लिए आवश्‍यक ऐसी सभी अतिरिक्‍त सूचनांऐं दी जानी चाहिए।
2. कंपनी की लिखित अनुमति के बगैर बीमाधारक द्वारा अथवा की ओर से स्‍वीकार्यता प्रस्‍ताव का कोई वादा अथवा भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।3. बीमाधारक के नाम पर किसी दावे का प्रतिवाद करने अथवा करवाने का कंपनी का हक होगा किन्‍तु किसी भी स्थिति में बाध्‍यता नहीं होगी और किसी भी प्रकार की कार्यवाई करवाने व किसी भी दावे के निपटान का कार्य कंपनी के विविध पर होगा और किसी भी दावे के प्रतिवाद को कंपनी त्‍याग सकती है। किसी भी दावे के प्रतिवाद, निपटान अथवा भुगतान में खर्च हुई पुरी राशि, इस पॉलिसी की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट क्षतिपूर्ति की सीमाओं को कम कर देगी। अगर कंपनी अपने विवेकाधिकार से इस शर्त के अनुसरण में अपने हक का इस्‍तेमाल करने का निर्णय लेती है, तो इस हक के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के कारण इस पॉलिसी के अधीन कंपनी की देयता अथवा बाध्‍यता में किसी भी तरह का परिवर्तन अथवा विस्‍तार, उससे ज्‍यादा नहीं होगा जितनी कंपनी की देयता अथवा बाध्‍यता होती अगर वह इस हक का उपयोग नहीं करती।4. बीमाधारक द्वारा, व्‍यवहारिक रुप से कंपनी के लिए आवश्‍यक सभी सूचना व सहयोग दिया जाना चा‍हिए।5. जैसे ही किसी भी तथ्‍य, घटना अथवा स्थिति में ऐसा कोई व्‍यवहारिक व यथोचित परिवर्तन होता है जो इस पॉलिसी के प्रारंभ होने के समय कंपनी को दी गई जानकारीयों के स्‍वरुप में परिवर्तन कर दे वैसे ही बीमाधाकर को इसकी सूचना देनी चाहिए और कंपनी ऐसे किसी भी परिवर्तन के स्‍वरुप के अनुसार पॉलिसी की शर्तों में परिवर्तन कर देगी।6. कंपनी किसी भी समय पर बीमाधारक को इस पॉलिसी के अधीन ऐसे किसी भी दावे अथवा दावों की श्रृंखला, जिस पर क्षतिपूर्ति सीमा लागू होती है, के संबंध में इस सीमा की राशि (पहले ही भूगतान की गई किसी भी राशि को काटकर) अथवा उससे कम राशि, जिसके लिए ऐसे दावे निपटाए जा सकते हैं, का भुगतान कर सकती है और ऐसे भुगतान के बाद कंपनी ऐसे दावों का संचालन एवं नियंत्रण त्‍याग देगी और इनके संबंध में आगे किसी भी देयता के अधीन नहीं होगी।7. पॉलिसी और उसकी अनुसूची एक साथ एक अनुबंध के रुप पढी जाए और किसी शब्‍द अथवा अभिव्‍यक्ति, जिसके साथ इस पॉलिसी अथवा इसकी अनुसूची के किसी भाग के साथ कोई विशिष्‍ट अर्थ संबद्ध हो, जब भी आएगा, उनका वही विशिष्‍ट अर्थ होगा। इस पॉलिसी की शर्तों व अपवादों (और उसमें शामिल कोई शब्‍द अथवा वाक्‍य की व्‍याख्‍या भारतीय कानून के अनुसरण में की जायेगी।

8. बीमाधारक अपने वार्षिक टर्नओवर का सही रिकॉर्ड रखेगा जिसमें सभी उदग्राह्रा कर शामिल होंगे व बीमा के नवीकरण के समय कंपनी के लिए आवश्‍यक ऐसे सभी व्‍यौरे देगा। कंपनी को, उचित समय पर, ऐसे रेकॉर्डों के निरीक्षण की पूरी पहॅुच होगी।9. किसी भी ऐसी घटना के होने की स्थिति में जिसके फलस्‍वरुप इस पॉलिसी के तहत देयता हो, अगर बीमाधारक अथवा अन्‍य किसी व्‍यक्ति द्वारा उसी देयता को कवर करने वाला अन्‍य कोई सार्वजनिक देयता बीमा लिया गया अथवा लिए गए हों तो कंपनी ऐसी देयता के समानुपात से अधिक का भुगतान अथवा हिस्‍सेदारी देने के लिए जिम्‍मेदार नहीं है।10. कंपनी, बीमाधारक के अंतिम ज्ञात पते पर 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर इस पॉलिसी को निरस्‍त कर सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनी बीमा के समाप्‍त न हुए भाग के लिए प्रीमियम का एक यथानुपात भाग (वार्षिक प्रीमियम का न्‍यूनतम 25/ रख लेने के अधीन) वापस देगी।बीमाधारक द्वारा भी कंपनी को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर यह पॉलिसी निरस्‍त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, अगर बीमा की अवधि के दौरान पॉलिसी के अधीन कोई दावा ना हुआ हो तो, कंपनी लघु अवधि स्‍केल पर प्रीमियम रख लेगी। पॉलिसी के तहत कोई भी दावा होने की स्थ्‍िति में प्रीमियम की कुछ भी वापसी नहीं की जायेगी।11. पॉलिसी के तहत देयता उत्‍पन्‍न होने अथवा दावे के भुगतान की स्थिति में, पॉलिसी के तहत प्रत्‍येक किसी एक वर्ष की क्षतिपूर्ति की सीमा ऐसे दावे के वास्‍तविक भुगतान अथवा अदा की जाने वाली देयता की प्रमात्रा तक कम हो जायेगी। किसी भी स्थिति में क्षतिपूर्ति की बढी हुई सीमा को मूल स्‍तर पर वापस लाने की अनु‍मति नहीं होगी, अतिरिक्‍त प्रीमियम का भुगतान किये जाने पर भी नहीं।12. आगे यह भी घोषित किया जाता है और सहमति दी जाती है कि अगर कंपनी एतदधीन किसी दावे के लिए बीमाधारक के प्रतिदेयता को अस्‍वीकार करती है और इस अस्‍वीकृति की तारीख से 12 कैलेंडर महीनों के अंदर दावे पर न्‍यायालय में वाद दाखिल नहीं किया जाता है तो सभी उदद्श्‍यों के लिए दावा परित्‍याग किया माना जायेगा और एतदधीन उसके पश्‍चात वसूली योग्‍य नहीं होगा।13. इस पॉलिसी के तहत कंपनी ऐसे किसी दावे का भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार नहीं होगी जो किसी भी तरह से कपटपूर्ण अथवा बीमाधारक या अन्‍य किसी व्‍यक्ति द्वारा या की ओर से किसी विवरण अथवा उपकरण द्वारा समर्थित हो और/अथवा अगर बीमा बीमाधारक द्वारा अथवा की ओर से किसी महत्‍वपूर्ण सूचना को न बताने अथवा किसी महत्‍वपूर्ण गैर-बयानी के परिणामस्‍वरुप चालू रखा गया हो।14. इस पॉलिसी के तहत कोई भी दावा देय नहीं होगा जब तक कि उसका कारण भारत में न हुआ हो और बीमाधारक के विरुद्ध दावे के भुगतान की देयता किसी भारतीय न्‍यायालय में न की गई हो। आगे यह भी समझा और सहमत हुआ जाता है कि ऐसी किसी भारतीय न्‍यायालय में न की गई हो। आगे यह भी समझा और सहमत हुआ जाता है कि ऐसी किसी कार्रवाई पर केवल भारतीय कानून लागू होगा।**15. पॉलिसी विवाद खंड**पॉलिसी में निहित निबंधन, शर्तों, सीमाओं और/अपवादों की व्‍याख्‍या से संबंधित कोई भी विवाद भारतीय कानून के अधीन होगा। इसे बीमाधारक व कंपनी, दोंनो ने समझ लिया है और इस पर सहमत हैं। दोनों पक्ष भारत में सक्षम अधिकारक्षेत्र वाले न्‍यायालय के अधिकारक्षेत्र को मानने और ऐसे न्‍यायालय द्वारा अपेक्षित सभी आवश्‍यकताओं का अनुपालन करने के प्रति सहमत हैं। एतदधीन उठने वाले मामले ऐसे न्‍यायालय केक कानून व पद्धति के अनुसार तय किये जायेंगे।सार्वजनिक देयता पॉलिसी

संख्‍या ............................नाम................................नवीकरण तिथि..................

किसी भी कानूनी व्‍याख्‍या के लिए अंग्रेजी रुप ही मान्‍य होगा।